

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वि०अनु०शा०अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: ० | सितम्बर, २०१४

- १- समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
  - २- समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-२, वि०अनु०शा०,
- वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

वर्तमान में कई ट्रेडस् में यह दृष्टिगत हो रहा है कि क्रय-विक्रय छिपाने, न्यूनतम उत्पादन प्रदर्शित करने तथा वाणिज्य कर वसूलने के उपरान्त भी उसे राजकोष में जमा न करके नियम विरुद्ध रूप से आई०टी०सी० के रूप में समायोजन प्राप्त करने आदि माध्यमों से करापवंचन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे ट्रेडर्स एवं उनके पंजीकृत सम्ब्यवहारियों को चिन्हीकृत करते हुए उनके द्वारा दाखिल किये जा रहे रूपपत्र-२४ की सूक्ष्म समीक्षा एवं व्यापारिक गतिविधियों के सम्बन्ध में गोपनीय सूचनायें प्राप्त कर ली जाये और फिर क्रमशः ट्रेडवार सम्ब्यवहारियों की बैठके आहूत करके उन्हें यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उनकी फर्म तथा उनके वाणिज्यिक क्रिया-कलापों की सम्यक जानकारी वाणिज्य कर विभाग को है, अतः वे किसी भी कर अवधि के रिटर्न में अपना टर्नओवर छिपाने अथवा अवैधानिक रूप से कर का आई०टी०सी० के रूप में समायोजन का प्रयास न करे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराना आवश्यक हो गया है कि यदि वे अपना कार्य उचित रूप से करते हुए विभाग को नियम संगत रूप से राजस्व अदा करेंगे तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी अन्यथा उनके विरुद्ध वि०अनु०शा० जांच आदि के माध्यम से कार्यवाही करने के लिए विभाग की विवशता होगी।

अतः कृपया इस सम्बन्ध में निम्नवत चरणबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

- १- जोन में कार्यरत प्रत्येक वि०अनु०शा० इकाई के साथ एक सचल दल इकाई को सम्मिलित करके प्रवर्तन ग्रुप बनाया जाये। आवश्यकतानुसार सचल दल इकाईयों के स्थान पर कर निर्धारण टीम भी सम्मिलित की जा सकती है। ऐसे ग्रुप का प्रभारी ज्वाइंट कमिशनर (वि०अनु०शा०) को बनाया जाये। इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) को भी ग्रुप प्रभारी बनाया जा सकता है।
- २- उपर्युक्त ट्रेड में क्रमशः मिष्ठान, रेस्टोरेन्ट, पान मसाला, आटा, मैदा मिल, सरिया, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, खाद्यान या जोन के लिए सम्वेदनशील वस्तु में पंजीकृत बड़े सम्ब्यवहारियों को चिन्हीकृत कर लिया जाये और निम्नवत कार्यवाही प्रत्येक ट्रेड के लिए क्रमशः कराई जाये।
- ३- उपर्युक्त ग्रुप में सम्मिलित एक-एक अधिकारियों को आवश्यक संख्या में फर्मों/ सम्ब्यवहारियों को नियत कर अपेक्षा की जाये कि नियत की गयी फर्मों एवं सम्ब्यवहारियों की व्यवसायिक गतिविधियों की तथ्यपरक गोपनीय जांच/ सूचना संकलित कर एडीशनल कमिशनर ग्रेड-२(वि०अनु०शा०) को उपलब्ध करायेंगे। यह गोपनीय जांच सम्बन्धित फर्म/ सम्ब्यवहारी को सूचना दिये हुये बिना सम्पन्न की जायेगी।
- ४- जिन ट्रेड से सम्बन्धित फर्मों/ सम्ब्यवहारियों के सम्बन्ध में रूपपत्र-२४ की सूक्ष्म समीक्षा एवं गुप्त सूचनाओं के आधार पर करापवंचन के चिन्ह पाये जाये ऐसी चिन्हित फर्मों/ सम्ब्यवहारियों की तत्काल बैठके आयोजित की जाये। उक्त बैठक में किन व्यापारियों को बुलाया जाना है, इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। बैठक जोन के एडीशनल कमिशनर ग्रेड-१, की अध्यक्षता में एडीशनल कमिशनर ग्रेड-२,

वि०अनु०शा० द्वारा करायी जायेगी एवं उक्त बैठक में सभी ज्वाइंट कमिश्नर (वि०अनु०शा०)/(कार्यपालक) भी शामिल रहेंगे ।

5- इस सम्बन्ध में आहूत बैठक में फर्मो एवं सम्ब्यवहारियों को स्पष्ट कर दिया जाये कि उनके सम्बन्ध में परिपूर्ण सूचनायें विभाग को हैं और वे अपना टर्नओवर अपने रिटर्न में सही-सही प्रदर्शित करते हुए नियमानुसार स्वीकृत कर राजकोष में जमा करें। नियम संगत कार्य करने पर उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी अन्यथा उनके विरुद्ध वि०अनु०शा० जांच इत्यादि कराते हुए विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही करने की विवशता होगी । उन्हें यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि उक्त बैठक का प्रभाव अगस्त पेड इन सितम्बर में दखिल होने वाले रिटर्न तथा राजस्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जायेगा और अपेक्षित टर्नओवर प्रदर्शित न करने अथवा नियमानुसार राजस्व अदा न करने को गम्भीरता से लेते हुए वि०अनु०शा० इकाईयों द्वारा जांच की कार्यवाही करायी जायेगी ।

6- आगामी माह में प्राप्त होने वाले रिटर्न तथा राजस्व में उक्त बैठकों का प्रभाव जिन चिन्हित फर्मो/ सम्ब्यवहारियों के रिटर्न में न दृष्टिगत हो, उनके विरुद्ध उक्त प्रवर्तन ग्रुप के द्वारा प्रभावी जांच एवं सर्वेक्षण की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करायी जाये ।

7- इस सम्बन्ध में प्रथम चरण में मिष्ठान एवं रेस्टोरेन्ट मदों में पंजीकृत फर्मो एवं सम्ब्यवहारियों को लिया जाये और इनके सम्बन्ध में अपेक्षित सूचनायें दिनांक 04-9-2014 तक संग्रहीत कर ली जाये । मिष्ठान से सम्बन्धित सम्ब्यवहारियों की बैठक दिनांक 05-9-2014 को एवं रेस्टोरेन्ट के सम्ब्यवहारियों की बैठक दिनांक 06-9-2014 को आहूत की जाये । इसी प्रकार अन्य मदों के सम्बन्ध में भी कार्यक्रम बनाकर कार्यवाही आसन्न दशहरा एवं दीवाली तक पूर्ण कर ली जाये ।

अतः कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए प्रगति एवं कृत कार्यवाही से पाक्षिक रूप से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि इस तरह से सूचना आंधारित सम्ब्यवहारियों से बैठक के उपरान्त कितने सम्ब्यवहारी के टैक्स पीरियड के रिटर्न टर्नओवर / एडमिटेड टैक्स में गुणात्मक सुधार हुआ है ।

*m.s.  
१०.९.२०१५*  
( मृत्युंजय कुमार नारायण )  
कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश ।